

 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कटिहार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय) लंगड़ाबगान, साहेबपारा, कटिहार (बिहार) - 854105, दूरभाष:- +91-6452-231397, सीबीएसई संबद्धता सं: 300018, सीबीएसई मूल कोड 69018, के.वि. कोड: 1830, ईमेल: kskatihar@gmail.com GSTIN: 10PTNK00414B1D8 PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KATI HAR An autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India, Langrabagan, Sahelpara, Katihar (Bihar) - 854105, Phone:- +91 6452 231397, Website: kati har.kvs.ac.in CBSE affiliation No. - 300018, CBSE code - 69018, KV code - 1830, email: kskatihar@gmail.com GSTIN: 10PTNK00414B1D8	 Azadi Ka Amrit Mahotsav
---	---	--

फ. सं. 1-24/1830/ पीएम श्री के.वि.कटिहार/2025-26/

दिनांक: 28.01.2026

नीलामी सूचना

आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, कटिहार की ओर से कार्यानुभव विभाग, कनिष्ठ विज्ञान विभाग, फर्निचर विभाग एवं संगीत विभाग के निष्प्रयोज्य घोषित वस्तुओं/सामानों का 'जहां है जैसा है' के आधार पर नीलामी आगामी **दिनांक 06.02.2026 को अपराह्न 03:00 बजे** किया जा रहा है।

पात्रता संबंधी शर्तें :

- (1) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म के पास वैध PAN कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए।
- (2) सर्वाधिक बोलीदाता को बोली की राशि का 25% तत्काल ही नकद/चेक के माध्यम से जमा करना होगा।
- (3) नीलामी में भाग लेने से पूर्व सभी व्यक्ति/फर्म को **KENDRIYA VIDYALAYA KATI HAR VVN ACCOUNT** के नाम **₹5000/-** का डी.डी. जो कटिहार में भुगतये हो / चेक नीलामी कमिटी के पास जमा करना अनिवार्य है।

नीलामी की शर्तें

1. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली लगाने से पहले सामग्रियों का भौतिक रूप से निरीक्षण अवश्य कर लें। भौतिक निरीक्षण के लिए इच्छुक बोली दाता दिनांक 30.01.2026 से 06.02.2026 तक पूर्वाह्न 09:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य वैध परिचय पत्र के साथ विद्यालय आ सकते हैं।
2. सफल उच्चतम बोलीदाता बोली लगाने वाले बोलीदाता को सामग्री – “जैसा है जहां है” के आधार पर दी जाएगी।
3. बोली की राशि के उपर लगने वाले किसी भी देय कर का भुगतान बोलीदाता के द्वारा किया जाएगा।
4. नीलामी की धनराशि विद्यालय के खाते में जमा होने के उपरांत ही सामग्रियों को विद्यालय से ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
5. नीलामी की राशि विद्यालय खाते में जमा होने के सात दिनों के अंदर सामानों को विद्यालय से ले जाना अनिवार्य होगा।
6. नीलाम किए गए सामानों को ले जाने के लिए किसी भी तरह का वाहन/श्रम की सुविधा विद्यालय द्वारा नहीं दी जाएगी।
7. नीलामी की सामग्रियों को विद्यालय से ले जाने के क्रम में हुए किसी भी क्षति/कमी के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8. नीलामी किए गए सभी सामानों को सफल बोलीदाता द्वारा विद्यालय अवधि में ही विद्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
9. किसी भी स्थिति में नीलाम किए गए सामानों को विद्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में विद्यालय से ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में विद्यालय प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. इस नीलामी प्रक्रिया के दौरान एवं नीलामी के बाद भी सामानों को सफल बोलीदाता द्वारा विद्यालय से ले जाने से पूर्व तक किसी भी समय बिना कारण बताए ही नीलामी को निरस्त करने का अधिकार विद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

असद
28/01/26
(असद अली खान)

प्राचार्य प्राचार्य
Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, कटिहार
PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Katihar

प्रतिलिपि:

- (1) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति – सादर सूचनार्थ।
- (2) उपायुक्त महोदय, के०वि०सं०, सम्भागीय कार्यालय, पटना – सादर सूचनार्थ।
- (3) सभी प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, पटना संभाग – कृपया अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर स्थान देने की कृपा करें।
- (4) विद्यालय वेबसाइट।
- (5) गार्ड फाइल।

/
(असद अली खान)
प्राचार्य